



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:20021

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी सं. 2646 वर्ष 2026

मुट्टुर

..... याची(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

एवं 4 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता

: नीरा यादव, रिया यादव

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय सं. - 5

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक माथुर

1.याची की विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती नीरा यादव, प्रत्युत्तरदाता सं. 1 से 3 के विद्वान् स्थायी अधिवक्ता, और प्रत्युत्तरदाता सं.4 की ओरसे उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना।

2.प्रस्तावित आदेश के प्रकाश में, निजी प्रत्युत्तरदाता को नोटिस जारी करने से छूट दी जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

3. याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा निवेदित किया गया है कि याची ने, आदेश दिनांक 14.07.2005 के माध्यम से प्राईवेट प्रत्युत्तरदाता और तीन अन्य व्यक्तियों को आवंटित की गई भूमि, स्थित ग्राम- काजीपुर, परगना- जगदीशपुर, तहसील - मुसाफिरखाना, जिला - अमेठी के संबंध में, उ. प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 66 के अधीन एक परिवाद प्रस्तुत किया है।

4. याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदित किया गया है कि याची ने पप्पू, जगलाल, राजलाल और रामाधार के पक्ष में किए गए चार आवंटनों को चुनौती दी थी। याची द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर ही, उ. प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 66 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गई थी और चारों व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए थे। रामाधार के सिवाय, शेष तीन व्यक्तियों ने जिला मजिस्ट्रेट के नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया था। रामाधार, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुआ था। रामाधार ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुआ था और कहा था कि उसने पहले ही मकान निर्मित कर लिया है, और याची द्वारा अधिरोपित अभिकथनों से इन्कार किया है, जबकि दूसरी ओर, शेष तीनों व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कभी उपस्थित नहीं हुए थे।

5. उपर्युक्त तथ्यों की दृष्टि से, जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 29.08.2025 के माध्यम से याची का आवेदन भागतः अनुज्ञात किया था, और पप्पू, जगलाल और राजलाल के पक्ष में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

किया गया आवंटन निरस्त कर दिया था, और रामाधार के पक्ष में किए गए आवंटन में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया था।

6. आदेश दिनांक 29.08.2025 से व्यथित होकर, याची ने अपर आयुक्त, अयोध्या मंडल, अयोध्या के समक्ष पुनरीक्षण अधिमानित किया था। आयुक्त ने वाद के संपूर्ण तथ्यों को पुनः देखा था और पाया था कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 के आदेश में कोई कमी नहीं थी, और उक्त आदेश को अनुमोदित किया था, और आदेश दिनांक 19.02.2026 के माध्यम से याची द्वारा अधिमानित पुनरीक्षण खारिज कर दिया था।

7. याची के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि दोनों आदेश अवैध और स्वच्छंद हैं और हस्तक्षेप अपेक्षित है, क्योंकि याची के अनुसार, रामाधार ने भी कोई निर्माण नहीं किया है, और निवेदित किया है कि रामाधार के संबंध में अभिलिखित निष्कर्ष भी अवैध और स्वच्छंद हैं।

8. दूसरी ओर, विद्वान् स्थायी अधिवक्ता ने इस रिट याचिका का विरोध किया है। उन्होंने निवेदित किया है कि उ. प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 66 के अधीन याची द्वारा अधिमानित आवेदन, इस तथ्य के प्रकाश में स्वतः पोषणीय नहीं था, कि उ. प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 66 के उप-खंड 2 के अनुसार, कोई आवेदन आवंटन के केवल तीन वर्ष के भीतर ही किया जा सकता था, और उपर्युक्त के बाद भी, जिला मजिस्ट्रेट ने याची का आवेदन भागतः

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

अनुज्ञात किया था और रामधार के सिवाय, तीन अन्य व्यक्तियों के पक्ष में किए गए आवंटन निरस्त कर दिए थे, जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, आवासीय पट्टे के निबंधनों में निर्माण किया था। इस संबंध में निवेदित किया गया है कि दोनों आदेश अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पारित किए गए हैं, जबकि दूसरी ओर, याची ने ऐसी कोई सामग्री दाखिल नहीं की है, जिससे यह इंगित हो कि जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त का आदेश किसी अनौचित्य से ग्रसित है या उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित है।

9. याची के विद्वान् अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

10. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आदेश दिनांक 14.07.2005 के माध्यम से पप्पू, जगलाल, राज लाल और रामाधार के पक्ष में आवंटन किया गया था। याची ने 2023 में ही परिवाद दाखिल किया था और तदनुसार, उ. प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 66 के अधीन वाद, वाद सं. 423 वर्ष 2023 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था। यह न्यायालय इस तथ्य का भी ध्यान देता है कि ऐसा आवेदन आवंटन की दिनांक से केवल तीन वर्ष की अवधि के भीतर, अर्थात् 13.07.2008 से पूर्व, प्रस्तुत किया जा सकता था। याची का आवेदन स्पष्ट रूप से 15 वर्ष विलंबित था और कोई ठोस स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह न्यायालय अग्रेतर पाता है कि उ. प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 66 में विलंब की माफी के लिए कोई उपबंध विहित नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. जिला मजिस्ट्रेट को संहिता, 2006 की धारा 66 के उपबंधों पर विचार करना चाहिए था एवं अन्य तीन व्यक्तियों के पक्ष में किए गए आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही आरंभ करने से पहले, संहिता, 2006 की धारा 66(2) के अनुसार याची द्वारा अधिमानित आवेदन की पोषणीयता पर विचार करना चाहिए था।

12. ऐसा प्रतीत होता है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने भी मामले के इस पहलू पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह न्यायालय पाता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि रामाधार ने मकान निर्मित कर लिया था, और उसके प्रतिकूल कोई निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए उनके समक्ष कोई सामग्री नहीं थी जिस पर आदेश दिनांक 29.08.2025 द्वारा पहले से विचार किया गया था और अभिलिखित किया गया था, तदनुसार, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में इस सीमा तक, कि रामाधार के संबंध में याची का आवेदन निरस्त किया गया था, और आदेश दिनांक 19.02.2026 द्वारा पुनरीक्षण भी खारिज किया गया था। कोई त्रुटि नहीं पाता है।

13. जैसी उपर्युक्त पहले ही चर्चा की गई है, याची के परिवाद के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरंभ की गई जांच, उ. प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 66 के उप-खंड 2 का स्पष्ट

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उल्लंघन के कारण, अवैध और स्वच्छंद थी। उपर्युक्त कारणों से, यह न्यायालय आक्षेपित आदेशों में कोई कमी नहीं पाता है।

14. इसलिए, अन्य सभी आवंटों यदि वे आदेश दिनांक 29.08.2025 को चुनौती देना चाहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपर्युक्त आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र हैं।

15. उपर्युक्त संप्रेक्षणों के अध्यधीन, वर्तमान रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

मार्च 19, 2026

ए. वर्मा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”